राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 13.09.2024

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः 43 / 2025

जीसीएमएस संख्याः 2025 / 83

निर्णय दिनांकः 13.09.2025

दायर दिनांकः 24.03.2025

1. बंशीलाल जाट पुत्र गौरू राम जाति जाट निवासी ग्राम अणखेल्यां तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

1. प्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री मोहनलाल बिशु एवं अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश घोटिया।
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी ग्राम अणखोल्यां तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू का स्थायी निवासी है। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी खेत वाके रोही ग्राम अणखोल्यां पटवार मण्डल हरासर तहसील सुजानगढ़ में खाता संख्या 36 खेत खसरा नम्बर 111 तादादी 4.9442 है0, खसरा नम्बर 114 तादादी 3.1612 है0, खसरा नम्बर 29 रकबा 5. 8799, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.4931, खसरा नम्बर 46 तादादी 0.3414 है0, खसरा नम्बर 6 तादादी 6.0948 है0, खसरा नम्बर 7 तादादी 0.6575 है0, खसरा नम्बर 82 तादादी 2.7060 है0, खसरा नम्बर 85 तादादी 2.9589 है0, खसरा नम्बर 95 तादादी 1.0116 है0, खसरा नम्बर 96 तादादी 0.5184 है0 कुल किता 11 कुल तादादी 28.7670 है0 तथा रोही अणखोल्यां के खाता संख्या 53 खसरा नम्बर 28 तादादी 5.8925 है0 भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में मंशी पुत्र गोरू दर्ज है जो अशुद्ध है, जबकि प्रार्थी का सही नाम बंशीलाल जाट पुत्र गौरू राम है। अन्य दस्तावेज भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पैनकार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र में भी प्रार्थी का सही नाम बंशीलाल जाट पुत्र गौरू राम ही अंकित है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण रिकॉर्ड दुरस्त करवाना आवश्यक है।

प्रश्नगत खेत रोही अणखोल्यां तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दस्तोवजों यथा आधारकार्ड, पैनकार्ड में प्रार्थी का सही नाम अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम मंषी पुत्री गोरू दर्ज है बोलचाल की भाषा में बंशीलाल को ही मन्शी बोला जाता है एवं मन्शी पुत्री न होकर पुत्र है। मन्शी व बंशीलाल दोनों अलग–अलग नहीं है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थी का नाम बंशीलाल जाट पुत्र गौरूराम दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज छांयाप्रति यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम बंशीलाल जाट पुत्र गौरूराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेशः–

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही अणखोल्यां तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या 36 खेत खसरा नम्बर 111 तादादी 4.9442 है0, खसरा नम्बर 114 तादादी 3.1612 है0, खसरा नम्बर 29 रकबा 5.8799, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.4931, खसरा नम्बर 46 तादादी 0.3414 है0, खसरा नम्बर 6 तादादी 6.0948 है0, खसरा नम्बर 7 तादादी 0.6575 है0, खसरा नम्बर 82 तादादी 2.7060 है0, खसरा नम्बर 85 तादादी 2.9589 है0, खसरा नम्बर 95 तादादी 1.0116 है0, खसरा नम्बर 96 तादादी 0.5184 है0 कुल किता 11 कुल तादादी 28.7670 है0 तथा रोही अणखोल्यां के खाता संख्या 53 खसरा नम्बर 28 तादादी 5.8925 है0 में दर्ज खातेदार का नाम मन्शी पुत्री गोरू के स्थान पर बंशीलाल जाट पुत्र गौरू राम दर्ज किया जावे। रहन की प्रविष्टी (यदि कोई हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2025 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़